विधान परिषद के द्वितीय सत्र 2024 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित डा0 मान सिंह यादव, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-01 का उत्तर

	प्रश्न		उत्तर
01 (क)	क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश के वित्त विहीन शिक्षकों की खराब आर्थिक हालत में सुधार लाने के लिए मानदेय बढाकर दिये जाने की दिनांक 11 मार्च 2024 तक कोई कार्य-योजना है?		शासनादेश संख्या- ई0एम0-1443/15-7-2001-1(191)/2000, दिनांक 10.08.2001 द्वारा वित्त् विहीन विद्यालयों के शिक्षकों के लिए परिलब्धियाँ एवं सेवा शर्तें निर्धारित है।
(ख)	यदि हाँ, तो उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?		उक्तवत।
(ग)	यदि नहीं, तो क्यों?		उक्तवत।

२९/७/२०२४

(गुलाब देवी)
माध्यमिक शिक्षा मंत्री।

संख्या : EM ; 663 /15-7-2001-1(191)/2000

प्रेषक,

नीरा यादव,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,
उत्तर प्रदेश
लखनऊ / इलाहाबाद।

शिक्षा अनुभाग - 7 लखनऊ : दिनांक : 10 अगस्त,2001

विषय : वित्त विहीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों की सेवा शर्तें।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक इन्टरमीडियेट शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा 7(कक)-3 के प्रविधानानुसार राज्य सरकार द्वारा, इस अधिनियम की धारा-7(कक) के अधीन नियुक्ति किए जाने वाले अंशकालिक अध्यापकों के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत समस्त शासनादेशों को अतिक्रमित करते हुए वित्त विहीन विद्यालयों के अंशकालिक अध्यापकों के लिये सेवा शर्तें निम्नवत निर्धारित की जाती है :-

1. नाम	ऐसे अध्यापक अंशकालिक अध्यापक कहे जायेंगे।
2. आयु	ऐसे अंशकालिक अध्यापकों की आयु उस कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई को, जिसमे यथास्थिति प्रबन्धतंत्र द्वारा नियुक्ति हेतु विज्ञापित की जाय, न्यूनतम इक्कीस वर्ष की हो गई हो।
3. अर्हताऐं	अंशकालिक अध्यापक के किसी पद पर नियुक्ति के लिये अभ्यर्थी के पास इन्टरमीडियेट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अधीन बनाई गयी विनियमावली के

क्रमशः........2

अध्याय-2 के विनियम-1 में विर्निदिष्ट अर्हतायें होनी चाहिए।

4. नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया

इन्टरमीडियेड शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा 7-क के अधीन विषय या विषयों के वर्ग या उच्चतर कक्षा के लिये मान्यता दी गई है, शिक्षण कार्य के लिये अंशकालिक अध्यापकों की नियुक्ति हेतु चयन के लिये :-

(क) प्रबन्ध तंत्र द्वारा सम्बन्धित विषय/विषयों आदि के लिये अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे। इस हेतु कम से कम दो समाचार पत्रों, जिनका प्रदेश तथा उस क्षेत्र विशेष में, जिसमें विद्यालय अवस्थित हो, व्यापक प्रचलन हो, में विज्ञापित किया जायेगा।

(ख) आवेदन पत्र प्राप्ति हेतु कम से कम 15 दिन का समय दिया जायेगा।

(ग) उपयुक्त अभ्यर्थी के चयन हेतु विद्यालय के प्रबन्धतंत्र द्वारा एक चयन समिति गठित की जायेगी, जो निम्नवत् होगी :-

(1) प्रबन्ध समिति का अध्यक्ष- अध्यक्ष

(2) प्रबन्धक अथवा उसके द्वारा नामित एक प्रतिनिधि - सदस्य

(3) विद्यालय का प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या सदस्य

(4) प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष द्वारा नामित एक विषय विशेषज्ञ - सदस्य

घ(अ) अंशकालिक अध्यापकों का चयन शैक्षिक योग्यता, अनुभव एवं साक्षात्कार के आधार पर किया जायेगा।

क्रमशः........3

(ब) चयन समिति उपयुक्त अभ्यर्थी का चयन कर नियुक्ति हेतु प्रबन्धतंत्र को शिफारिश करेगी। तदुपरान्त प्रबन्धतंत्र नियुक्ति पत्र रजिस्टर्ड डाक (पावती सहित) से निर्गत करेगा जिसमे कार्यभार ग्रहण करने हेतु एक माह का समय दिया जायेगा।

(स) नियुक्ति पत्र में, सेवाकाल, सेवा की अन्य शर्तें तथा सामान्य निर्देश अंकित होंगे।

(द) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा निम्न अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा :-

(1) शैक्षिक योग्यता, प्रशिक्षण योग्यता तथा अनुभव आदि से सम्बन्धित मूल अभिलेख, जिसे बाद में लौटा दिया जायेगा।

(2) दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा दिया गया चरित्र एवं व्यवहार प्रमाण-पत्र ।

5. कोई अभ्यर्थी चयनित नही किया जायगा, यदि :-

(क) वह संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत कर दिया गया हो,

(ख) वह नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोषी सिद्ध व्यक्ति हो,

(ग) किसी अंशकालिक अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा, जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नीयां हों या कोई महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसके पहले से एक पत्नी जीवित हो:

क्रमशः.......4

6. परिलब्धियां

अंशकालिक अध्यापकों को प्रबन्धतंत्र अपने श्रोतों से परिलब्धियों का भुगतान करेगा और यह भुगतान सम्पूर्ण शिक्षण सत्र के लिये नियमित रूप में किया जायेगा, जिसका लेखा-जोखा रखा जायेगा। अंशकालिक अध्यापकों की परिलब्धियां न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के उपबन्धों में कुशल श्रमिक हेतु मजदूरी की व्याख्या के अनुसार समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं से निर्धारित मजदूरी से कम नहीं होगी।

7.

प्रबन्धतंत्र ऐसे अंशकालिक अध्यापकों के लिए यथाविधि भविष्य निधि तथा जीवन बीमा की योजनायें लागू करेगा, जिनमें नियोजक का अंशदान प्रबन्धतंत्र द्वारा अपने निजी श्रोतों से दिया जायेगा।

8. अनुशासनिक कार्यवाही

प्रबन्ध समिति निम्नलिखित कारणों से किसी भी अंशकालिक अध्यापक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही कर सकती है :-

(क) विद्यालय के नियमों का उल्लंघन करना तथा आज्ञा न मानना ।

(ख) सौपें गए दायित्वों के निर्वाह में लापरवाही करना ।

(ग) विद्यालय के अभिलेखा नष्ट करना अथवा क्षति पहुंचाना ।

(घ) विद्यालय की सम्पत्ति अथवा धन का दुरूपयोग करना ।

(च) विद्यालय में अस्त्र-शस्त्र लाना अथवा उनका प्रयोग करना अथवा धमकी देना ।

(छ) परीक्षा कार्य नियमानुसार न करना अथवा किसी अनुचित साधन हेतु प्रोत्साहन अथवा उसमें संलग्न होना ।

क्रमश:........5

(ज) विद्यालय की गोपनीय पत्रावली, वस्तु अथवा अभिलेख की गोपनीयता भंग करना ।

(झ) कक्षा कर्य अथवा गृह कार्य में लापरवाही करना ।

9. सेवा समाप्ति ।

यदि प्रबन्ध तंत्र को यह समाधन हो जाय कि कोई भी अंशकालिक अध्यापक धारा 9 में वर्णित अथवा किसी नैतिक अधमता के अपराध में किसी समक्ष न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध कर दिया गया हो, तो वह इन आंशकालिक अध्यापकों की सेवायें समाप्त कर सकता है।

(क) किसी भी अंशकालिक अध्यापक की सेवायें समाप्त करने के पूर्व प्रबन्धतंत्र द्वारा आरोपी के विरूद्ध लगाये गये आरोपों की जाँच, जांच अधिकारी से कराई जायेगी ।

(ख) जांच अधिकारी का तात्पर्य प्रबन्धतंत्र द्वारा नियुक्त अंशकालिक प्रधानाचार्य या किसी वरिष्ठ अंशकालिक अध्यापक से होगा ।

(ग) जांच अधिकारी की जांच आख्या एवं संस्तुति पर प्रबनधतंत्र निर्णय लेगा । निर्णय के पूर्व प्रबंध तंत्र द्वारा संबन्धित अंशकालिक अध्यापक को सुनवाई का एक अवसर दिया जायेगा और इसके उपरान्त ही निर्णय लिया जाएगा ।

(घ) यदि प्रबंधतंत्र की निर्णय से संबंधित अंशकालिक अध्यापक विक्षुब्ध हो, तो वह इस निर्णय के विरूद्ध संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को अपील प्रबंध तंत्र के निर्णय प्राप्ति के दो माह के भीतर प्रस्तुत कर सकता है। जिला विद्यालय निरीक्षक का निर्णय अन्तिम होगा।

क्रमशः........6

(च) जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा दिये गये निर्णय का पालन प्रबंधतंत्र करेगा । प्रबंध तंत्र द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा लिये गये निर्णय का पालन नहीं किया जाता है, तो प्रबंध-तंत्र के विरूद्ध उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 से सुसंगत प्राविधानों के तहत कार्यवाही की जा सके ।

10. त्यागपत्र/पद समाप्ति

(क) यदि कोई अंशकालिक अध्यापक किसी कारणवश विद्यालय से अलग होना चाहता है, तो वह एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके बदले में एक माह की पारिलब्धियों को जमा करके त्यागपत्र दे सकता है ।

(ख) माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा विद्यालय या उसके किसी विषय की मान्यता को समाप्त करने, किसी अनुभाग को समाप्त करने अथवा किसी अन्य कारणवश, किसी अंशकालिक अध्यापक का पद समाप्त किया जा सकता है, तो प्रबन्ध तंत्र द्वारा सम्बन्धित अंशकालिक अध्यापक को एक माह पूर्व सूचना या उसके बदले में एक माह की पारिलब्धियां देकर सेवायें समाप्त की जा सकेंगी ।

शासनादेश निर्गत होने की तिथि से उक्त सेवा शर्तें प्रभावी होंगी।

भवदीय

(नीरा यादव)

प्रमुख सचिव

क्रमशः........7

पृष्ठांकन संख्या: 1443 (1)/15-7-2001 तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
3. निदेशक, वैकल्पिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
4. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
5. सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
6. अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक/बेसिक/पत्राचार शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
7. समस्त मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश ।
8. क्षेत्रीय सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद/वाराणसी/मेरठ/बरेली एवं गोरखपुर ।
9. समस्त मंडलीय उप शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश ।
10. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।
11. शिक्षा विभाग, उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अधिकारी / अनुभाग ।

आज्ञा से

(अखिलेश चन्द्र गुप्त)
अनुसचिव